न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज।

भरण–पोषण वाद सं0– 282 / 2024

जरीना खातुन एवं अन्य .... आवेदिकागण

बनाम

मो0 इब्राहीम हुसैन .... विपक्षी

उपस्थित :

धीरेन्द्र बहादुर सिंह,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गोपालगंज
आदेश की तिथि – 03.02.2026

आदेश

03.02.2026

1. वाद पुकारा गया। आवेदिका न्यायालय मे उपस्थित है। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। आवेदिका की ओर से पुत्र/आवेदक सं0–2 के नाम मे संशोधन हेतु शपथ पत्र समर्थित आवेदन दिया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को आवेदन का कॉपी प्राप्त कराया गया।

2. आवेदिका की ओर से कहा गया कि प्रस्ततु वाद आवेदिका अपने दो नाबालिग पुत्र के साथ भरण–पोषण के लिए दाखिल की है। आवेदिका की ओर से निवेदन किया गया कि त्रुटि के कारण वाद पत्र मे आवेदिका के पुत्र/आवेदक सं0–2 का नाम गलत अंकित हो गया है। अतः न्यायहित मे आवेदिका के पुत्र/आवेदक सं0–2 ''हयात'' के स्थान पर ''मो0 फैजान हयात हुसैन'' संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। आवेदिका की ओर से मो0 फैजान हयात हुसैन का जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति दाखिल किया गया है।

3. बार–बार पुकार पर विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

4. आवेदिका को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद अंतरिम भरण–पोषण के आवेदन पर सुनवाई हेतु निर्धारित है। आवेदिका की ओर से अपने पुत्र/आवेदक सं0–2 मो0 फैजान हयात हुसैन का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक मे आवेदिका का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के आलोक में वाद पत्र में आवेदक सं0–2 का नाम ''हयात'' के स्थान पर ''मो0 फैजान हयात हुसैन'' को नियमानुसार संशोधन करें।

वाद दिनांक 17.02.2026 वास्ते अंतरिम भरण–पोषण के आवेदन पर सुनवाई हेतु।

लेखापित

प्रधान न्या0